फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली मुकाम पाली

अपीलांटः–

1. विक्रमसिंह पुत्र श्री जेठूदान जी कौम चारण उम्र 44 वर्ष, निवासी अणेवा तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील देसूरी जिला पाली

किस्म मुकदमाः– स्थगन प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्याः– 07/2022

स्थगन प्रार्थना आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई।
3/3/2022	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध स्थगन हेतु प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध अपना अपील पत्र पेश कर दिया है, जिसके वाक्यों को देखते हुए प्रार्थीगण को अपने अपील पत्र के सफल होने की प्रथम दृष्टया पूर्व आशा है। यह है कि ग्राम अणेवा, तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त वक्त सेटलमेन्ट से चला आ रहा है। अपीलाण्ट का कब्जा सवत् 2012 से है लेकिन राजस्व रेकर्ड से सवत् 2062 से नियमित रूप से खसरा परिवर्तनशील से अपीलाण्ट का कब्जा दर्शाया हुआ है, ऐसी सुरत में उक्त भूमि का अपने पक्ष में राज्य सरकार की मंशा अनुसार नियमन कराने का प्रार्थीगण अपना कानूनी हक रखते है। फिर भी नियमन नही कराने के बजाय बेदखल करने का आदेश दिया है, जो राज्य सरकार के परिपत्र के विपरित आदेश है। जबकि सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यह है कि निवेदित स्थगन आज्ञा का प्रार्थना –पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार नही किया गया तो एकतरफा गैरमौजूदगी में पारित आदेश में	सम्मन जारी 23 4/3/22

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जायेगा, शास्ति वसूल कर दी जायेगी, निलामी राशि वूसल कर दी जायेगी तथा प्रार्थीगण जो भूमिहीन है, उनको बेदखल कर देगें, जबकि प्रार्थीगण इस भूमि को कानूनी रूप से प्राप्त करने का अधिकारी रखते है, अगर भूमिधारी ने प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन प्रार्थी रूपयों पैसों से वसूल नही कर पायेगें तथा प्रार्थीगण के अपील करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा।

अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.10.2021 जो राजस्व प्रकरण संख्या 61/2021 सरकार बनाम विक्रमसिंह वगैरह में पारित किया है, उसकी तामिल एंव प्रभाव को स्थगित फरमावे तथा प्रार्थीगण को बेदखल नही करे, अपील में वर्णित भूमि की स्थिति यथावत् रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य–सबुत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं तथा अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना यदि मौके से बेदखल किया जाता हैं तो अपीलाण्ट अपूर्ण्य क्षती होने की पूर्ण संभावना प्रतित होती हैं। इस प्रकार निषेधाज्ञा जारी करने के मूल सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है।

अतः उक्तानुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा आगामी सुनवाई तारीख पेशी तक इस आशय के जारी की जाती है कि ग्राम अणेवा, तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी तहसील तहसील देसूरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2021 के पालना एवं प्रभाव को स्थिगित किया जाता हैं। आगामी आदेश तक प्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल नही करे तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थी को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/3/2022 को पेश हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई।
30/3/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थीगण को पूर्व में जारी नोटिस तामिल अथवा अदम तामिल प्राप्त नहीं हुए, जिसका इन्तजार हो। पत्रावली में पूर्व में जारी स्थगन आदेश की अवधी आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 28-4-2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)	
28/4/22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप०। पूर्व में जारी स्थगन आदेश के संबंध में राजकिय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा स्थगन जारी करवाने हेतु जो आधार बताये गये हैं, उक्त संबंध में प्रार्थी व उनके अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे जाहीर होता हैं कि प्रार्थी द्वारा स्थगन हेतु बताये गये तथ्य आधारहिन हैं। साथ ही राजकिय अधिवक्ता ने निवेदन किया की यदी उक्त स्थगन आदेश अपास्त किया जाता हैं तो उससे प्रार्थी को किसी प्रकार की हानी नहीं होगी और न ही सुविधा के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत: उक्त स्थगन आदेश निरस्त फरमावें। हमने राजकीय अधि० की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त स्थगन आदेश को अब आगे बढ़ाया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अत: पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है पत्रावली मूल पत्रावली के साथ नत्थी होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)	